सं./No. 1/27/2011-वीएस (सीआरएस)- चंडीगढ़ **हिन्दी रूपान्तर**

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi – 110066
तार : जनगणना/ REGGENLIND दूरभाष-फैक्स/ Tel/Fax : 26100678
ई-मेल/ E-mail - rgrs@ndb.vsnl.net.in

दिनांक : 30 जुलाई, 2003

परिपत्र संख्या 3/2003

विषय :- जन्म और मृत्यु रजिस्टरों में त्रुटियों में सुधार

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 में संबंधित रजिस्टरों में जन्म या मृत्यु की प्रविष्टियों में सुधार का प्रावधान है यदि इस फार्म या तथ्य में अशुद्धियां जाती हैं, या धोखाधड़ी या अनुचित तरीके से प्रविष्टियां की जाती हैं। इसके लिए इस अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य के नियमों में ऐसी त्रुटियों में सुधार करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है ।

नियमों में प्रावधान है कि लिपिक या औपचारिक त्रुटियों जैसे नामों की अक्षर-विन्यास आदि, रजिस्ट्रार द्वारा देखी गई या अन्यथा उनके ध्यान में लाए जाने पर रजिस्ट्रार मामले की जांच कराएंगे और त्रुटियों से संतुष्ट होने के बाद आवश्यक सुधार करें। आशय यह है कि दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर इस प्रकार की त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है ।

तथ्यों में त्रुटियों के मामले में, नियमों में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने पर ऐसी प्रविष्टियों को सही कर सकता है एवं एक घोषणा जिसमें मामले के तथ्यों का ज्ञान रखने वाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा किए गए मामले की त्रुटियों और सही तथ्यों की प्रकृति को निर्धारित किया गया है । इस प्रकार की त्रुटियां संबंधित व्यक्ति से एक हलफनामा लेने पर सही हो सकती हैं, जिसमें मामले के तथ्यों का ज्ञान रखने वाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों के समर्थन और घोषणा में दस्तावेजी प्रमाण के साथ त्रुटियों की प्रकृति निर्धारित की गई है । तथापि, इस संबंध में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने में पंजीयकों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, मैं जनता के उत्पीड़न को कम करने और इस तरह के सुधार को अंजाम देने में पंजीयकों के दुस्साहस को नियंत्रित करने का आदेश देता हूं । इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि सार में त्रुटियों के मामले में भी, रजिस्ट्रार एक रिपोर्ट देगा जो उपरोक्त दस्तावेजों के साथ त्रुटियों की प्रकृति को निर्धारित करेगा ।

यदि जन्म/मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि अनुचित तरीके से या धोखाधड़ी से की गई है, तो नियमों में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार धारा 25 के तहत इस ओर सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कार्यालय को आवश्यक विवरण देते हुए एक रिपोर्ट बनाएगा और उससे सुनवाई करने पर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा । अधिनियम या राज्य नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए धोखाधड़ी या अनुचित तरीके से की गई प्रविष्टियों के मामले में, ऐसी प्रविष्टियों को रद्द किया जा सकता है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 23 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसा देखा गया है कि कई बार संबंधित अधिकारियों द्वारा या तो प्रक्रियाओं की अज्ञानता के कारण या कई अन्य कारणों से प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है। इन प्रावधानों का अनुपालन न करने से जनता का अनुचित और अनावश्यक उत्पीड़न होता है । इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को राज्यों में उचित रूप से लागू किया जाए।

अनुरोध है कि त्रुटियों के सुधार के लिए नियमों के तहत निर्धारित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं को उनके उचित अनुपालन के लिए सभी रजिस्ट्रार के ध्यान में लाया जाए। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि के मामले में जहां से कर्मचारियों को रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है, संबंधित स्थानीय निकायों के प्रशासनिक प्रमुखों को भी इन प्रावधानों की जानकारी दी जाए, ताकि वे उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकें।

(जे.के. बांठिया)

भारत के महारजिस्ट्रार

सेवा में,

समस्त मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु

प्रतिलिपि : 1. समस्त जनगणना कार्य निदेशालय एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार

2. अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, जम्मू एवं काश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम और पश्चिम बंगाल